न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 126 / 2003
आरसीएमएस नं. :– 2003 / 00093

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री चन्द उर्फ श्योराम जाति जाट नि0 डोबी त0 भादरा
2. सोहनलाल पि0 मु0 चुन्नीराम जाति जाट निवासी डाबी तहसील भादरा

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 18.09.2002, प्र. सं. 401 / 02
अनवान रामकुमार बनाम सोहनलाल आदि

उपस्थितिः–

राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 12.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिमसें चक डोबी बारानी के मु. नं. 52 का किला नं. 13, 14, 15, 16, 17, 18 कुल 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि को गैरखातेदारी से खतोदारी में दर्ज करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी जो कभी भी रेस्पोडेण्ट के कब्जा काश्त में नहीं रही है। जिसे रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलाण्ट ने अपील में ग्राम डोबी बारानी की जमाबंदी संवत 2057 प्रस्तुत हुई है जिसमें प्रश्नगत भूमि सुरजाराम, अमीलला, पि0 चुन्नीलाल कोम ब्राम्हण सा0 देह खातेदार दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पुर्वज चुन्नीराम की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2006 से 2009, खतोनी भूमि एकीकरण सं0 2016 प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2047 से 50 प्रदर्श 3, फैसलानामा व उसके सांथ संलग्न नक्शा जिसमें वादी व प्रतिवादीगदी दोनो के हस्ताक्षर है नक्शे में वादी की भूमि हरे रंग में दशाई गई है और प्रतिवादी की भूमि लालरंग से दिखाई है। चूकि भूमि पुरानी है और वादी व प्रतिवादी के बुजुर्गों की नोड़ि की हुई भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में गैर खतेदारी दर्ज थी राजस्व अभियान के दौरान खातेदारी दज हो चुकी है। परन्तु प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रश्गनत भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेण्ट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट के कथनों का किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को प्रकरण में सुनवाई का एक अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.09.2002

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़